



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय: बलदेव निवास कम्पाउण्ड,
आचार्य नरेंद्र देव रोड, सिविल लाइन,
अयोध्या - 224001, मो- 9151056377

सार्वजनिक बिक्री/
नीलामी सूचना
(अचल सम्पत्तियाँ हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक बिक्री / नीलामी सूचना

जबकि, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधीनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) संपादित नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बैंक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सन्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी।

जिससाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रौ) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) / विधिक वारिस को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निर्मांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलििए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को दिनांक 26.03.2026 को या उससे पहले, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या में मुहरबन्द लिफाफे में, निर्मांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली दिनांक 27.03.2026 को समय सायं 04:00 बजे खोली जाएगी। उधारकर्ता को रूप में प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उचबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता/ बंधककर्ता/विधिक वारिस का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (₹0)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि
----------	--	--------------------------------	---	-------------------	---------------------------

शाखा: मुख्य शाखा-फैजाबाद, जिला-अयोध्या

1.	ऋणी: मेसर्स बी.एन. कन्स्ट्रक्शन , राम नगर पहाड़गंज अयोध्या 224001, पार्टनर्स: 1. स्वर्गीय भूप नारायण तिवारी पुत्र मनोकांत तिवारी एवं 2. श्री प्रमोद कुमार तिवारी पुत्र स्वर्गीय भूप नारायण तिवारी. कानूनी वारिस: श्री प्रमोद कुमार तिवारी. जमानतकर्ता: 1. सीमा तिवारी पत्नी प्रमोद कुमार तिवारी. 2. पवन कुमार तिवारी पुत्र भूप नारायण तिवारी. सभी निवासी- ग्राम-पहाड़गंज तहसील सदर जिला अयोध्या	बंधक संपत्ति, विक्रय विलेख संख्या 1950 दिनांक 21.05.2008, श्रीमती सीमा तिवारी के नाम में बुक संख्या 1, जिनद संख्या 3155, पृष्ठ संख्या 1/48, स्थित खाता संख्या 100, गाटा संख्या 123 मिन (1416-21), ग्राम-पहाड़गंज (बी.एन.पी.), परगना-हवेली-उध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या, क्षेत्रफल: 758.92 वर्ग मी या 8166 वर्ग फीट, भूस्वामी: श्रीमती सीमा तिवारी, चौहदरी (विक्रय विलेख के अनुसार): पूर्व: 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: विक्रेता की भूमि, उत्तर: श्याम लाल की भूमि, दक्षिण: मिचू लाल की भूमि	11.06.2025 02.12.2025	₹. 7,17,115.00	62,87,000.00
		सांकेतिक कब्जा	+ दिनांक फरवरी 2025 से अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य खर्च		6,28,700.00

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति और फोटो के साथ में अपनी बोली जमा करनी होगी। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में अयोध्या में देयगोय एवं प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वाधिक बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर ली जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को नगद के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वाधिक बोली को स्वीकार / अस्वीकार / ख / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रमारों / देनदारियों / मार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सफल बोलीदाता को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचना नहीं जाएगा। 7. सफल बोलीदाता को सभी स्टेम चार्ज, स्टूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। अतः कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता को पक्ष नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गट करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) प्राविष्ट हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रमारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपरान्ह 2:00 बजे से साय 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://upgbank.com/sarfaesinotice.php> देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना
कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित किया जाता, प्रमारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 25.02.2026 स्थान: अयोध्या प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक